05.03.2025

GCMS-2019/00053

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। अप्रार्थीगण सं० 7/1 ता 7/5 के नोटिस। तलबी सम्मन जय से होकर लौटी है। बावजूद सम्मन तामील अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी हाजिर अदालत नही आया है अतः अप्रार्थीगण सं० 7/1 ता 7/5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण ने मुताबिक अनुतोष प्रा० पत्र U/S 136 LR Act स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं पूर्व में तहसीलदार पाटन से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगोर मनन किया गया जिससे वकील प्रार्थीगण का प्रा० पत्र U/S 136 LR Act स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली [illegible] से [illegible] हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:35:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांकः– 05.03.2025

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप मे इस प्रकार पेश है कि ग्राम खुर्दिया पटवार हल्का बेगा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर मे अवस्थित भूमि पुराना ख.न. 193 रकबा एक बीघा 17 बिस्वा का एवं भूमियों का प्रथम सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व नक्शा तैयार हुआ। उक्त भूमि का खातेदारान के मध्य आपस में विभाजन होने के उपरान्त उक्त भूमि के ख.नं. 193/1, 193/2 व 193/3 दर्ज होकर राजस्व नक्शे में तरमीम हुए। उक्त तथ्यों को राजस्व नक्शा लठा के अवलोकन से प्रमाणित किया गया हैं। उक्त भूमि का पटवार हल्का बेगा की नांगल से पटवार रामसिंहपुरा में अन्तरित हुआ। नवीन सेटलमेन्ट के दौरान भूमि ख.नं. 193 रकबा एक बीघा 17 बिस्वा के राजस्व अभिलेख में नवीन ख.नं. 246 रकबा 0.15 हैक्टर 466/246 रकबा 0.16 हैक्टर, 465/246 रकबा 0.16 हैक्टर कुल रकबा 0.47 हैक्टर दर्ज किये गये जबकि भूमि ख.नं. 246 के मिलान क्षेत्रफल में कुल रकबा 0.47 हैक्टर दर्ज किया गया हैं। इस प्रकार तत्कालिन राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में लापरवाही पूर्वक अशुद्वि करने की कार्यवाही की गई। नवीन सेटलमेंट के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पूर्व यानी प्रथम सेटलमेंट के दौरान तैयार राजस्व नक्शे के आधार पर तैयार नही किया जाकर रक्बा 0.11 हैक्टर कम किया जाकर राजस्व नक्शा तैयार कर नवीन राजस्व नक्शे में लापरवाही पूर्वक अशुद्धी करने की कार्यवाही की गई हैं। इस प्रकार पुराने ख.नं. 193 के राजस्व नक्शे एवं सेटलमेंट विभाग द्वारा तैयार नक्शे में मिलता तरमीम कर अशुद्धी करने की कार्यवाही की गई हैं। नवीन सेटलमेंट के दौरान पुराना ख.नं. 193 के राजस्व नक्शे में नवीन ख.नं. 246, 466/246, 465/246 के साथ भूमि ख.नं. 245 की तरमीम की जाकर राजस्व नक्शे में 0.47 हैक्टर की नाप पुरी नही की जाकर 0.47 हैक्टर भूमि में ही भूमि ख. नं. 245 रकबा 0.11 हैक्टर की तरमीम की जाकर अशुद्धी करने की कार्यवाही की गई। अतः राजस्व अभिलेख में ख.नं. 246, 466/246 व 465/246 का रकबा 0.47 हैक्टर तो सही दर्ज कर दिया गया लेकिन 0.47 हैक्टर भूमि के राजस्व नक्शे में भूमि ख.नं. 245 रकबा 0.11 हैक्टर भूमि तरमीम की जाकर प्रार्थीगण को क्षति पहुंचाने की नियत से लापरवाही पूर्वक अशुद्धी करने की कार्यवाही की गई जबकि प्रार्थीगण के 0.47 हैक्टर भूमि के राजस्व नक्शे में वर्णित ख.नं. 245 का कोई संबंध नही रहा, ना हैं। नवीन राजस्व नक्शे मे ख.नं. 245 रकबा 0.11 हैक्अर विलोपित फरमाया जाना आवश्यक हैं। तत्कालिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व विभाग के द्वारा उक्त भूमि के राजस्व मिलान क्षैत्रफल, राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में गलत रूप से तरमीम कर अशु[illegible]झकर किया जाना प्रमाणित हैं। प्रार्थीगण की भूमि रकबा 0.47 हैक[illegible] नक्शे [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 की भूमि ख.नं. 245 की गलत रूप से तरमीम कर अशुद्धी [illegible] जाने पर अप्रार्थीगण नं. 2 ता 7 को पक्षकारगण बनाया जाना आवश्यक हुआ है। अ[illegible]र्थीगण के द्वारा राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण की भूमि के राजस्व अभिलेख, राजस्व नक्शे व राजस्व मिलान क्षैत्रफल में नवीन सेटलमेंट के द्वारा की गई अशुद्वी की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 25. 06.2019 को होने व उक्त अशुद्वी की बाबत दस्तावेजात की प्रति दिनांक 05.07.2019 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:35:41 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त होने पर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जरिये सम्मन नोटिस की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 के विरूद्व बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 7 की फौत होने पर प्रार्थना पत्र कायम मुकामान पेश होने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वारिसान को अप्रार्थीगण सं. 7/1 ता 7/5 पर पक्षकारान बनाकर सम्मन प्रेषित किये गये जो बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार पाटन से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण वकील की बहस पर सगौर मनन किया। चूंकि तहसीलदार पाटन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नवीन सैटलमेंट के दौरान रिकार्ड में ख.नं. 245 रकबा 0.11 है0 को मिलान क्षेत्रफल रिकार्ड के अनुसार साबिक ख.नं. 193/325 से बनना बताया गया हैं। परन्तु ख.नं. 193/325 साबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज ही नहीं हैं साबिक रिकार्ड मिसल बंदोबस्त में आराजी ख.नं. 93/325 दर्ज हैं जिसका साबिक नक्शे के अनुसार नये नक्शे में संधारण ही नही किया गया हैं। अतः हाल ख.नं. 245 रकबा 0.11 है0 को हाल स्थान से हज्ब किया जाकर साबिक खसरा नम्बर 93/325 के स्थान पर नवीन खसरा नम्बर संधारित किया जाना अपेक्षित हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि:–

–: आदेश :–

तहसीलदार पाटन तन ग्राम खुर्दिया पटवार हल्का बेगा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर मे अवस्थित हाल भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 0.11 है0 को हाल स्थान से हजब किया जाकर साबिक खसरा नम्बर 93/325 के स्थान पर संधारित किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पाटन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा सरे इजलास दिनांक 05.03.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:35:41 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना, सीकर